पत्रांक – को0प्र0/विविध–13/2012.–2981–190

बिहार सरकार,

वित्त विभाग।

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 27/3/14

विषय – मार्च माह के अंतिम दिनों में कोषागारों में भीड़ कम करने, सभी प्राप्तियों को जमा कराने तथा लंबित विपत्रों को पारित करने हेतु व्यवस्था के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मार्च के अंतिम तीन दिनों में कोषागारों में अनावश्यक भीड़ हो जाती है, जिससे पूर्व से लंबित विपत्रों तथा वित्त विभाग से शिथिलीकरण प्राप्त मामले के विपत्रों की जाँच नहीं हो पाती है। इस वर्ष 30 मार्च को रविवार है। राज्य सरकार की प्राप्तियों को ससमय सरकारी लेखा में जमा कराना अत्यावश्यक होता है। इसलिए मार्च माह के अंतिम तीन दिनों के लिए निम्नांकित व्यवस्था की जाती हैं :–

1. सचिवालय कोषागार सहित राज्य के सभी कोषागार दिनांक 29.03.2014 को खुले रहेंगे।
2. कोषागार पदाधिकारी, दिनांक 30.03.2014 रविवार को आवश्यकतानुसार, लंबित विपत्रों को पारित करने हेतु कोषागार खोल सकते है, लेकिन उस दिन कोई नया विपत्र नहीं लिया जायेगा। सरकारी प्राप्ति से संबंधित चालान पारित किया जायेगा तथा चालानों की प्रविष्टि CTMIS में की जायेगी।
3. दिनांक 31.03.2014 को वित्त विभाग से शिथिलीकरण प्राप्त मामले के विपत्र ही 2:00 बजे अपराह्न तक स्वीकार किये जायेंगे, अन्य कोई भी विपत्र 31.03.2014 को स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 31.03.2014 को 5 बजे शाम से पारित विपत्र/चेक लेना बंद कर देगा इसलिए हर हाल में पारित होने वाले एवं 29.03.2014 तक प्राप्त विपत्रों को 3 बजे अपराह्न तक पारित कर बैंक भेज दिया जाय। चालान पारित करने का कार्य उसके बाद भी सामान्य रूप से चलता रहेगा।

अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

विश्वासभाजन,
27/3/14
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव।

DDC
ADC/All DDOs
TO/DTO
All SDMs/BDOs/CDPOs
DPRO
Comply
23/03/14

217